न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री रांजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :— 116 / 2025

उनवान

1.कौशल्या देवी पत्नि लक्ष्मण सैनी,जाति माली निवासी ग्राम बाडीजोडी,तहसील —शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

— प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार(भूधारक) जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर(राज)
2. गोविन्दा पुत्र छोटू
3. प्रभातीया पुत्र बुआ
4.मान्या पुत्र जीवन

समस्त व्यस्क जाति कुम्हार निवासी बाडीजोडी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर

5.मालीराम पुत्र रूघा
6.अर्जुन पुत्र गिरधारीलाल
7.केशरी देवी पत्नि स्व0 गिरधारीलाल
8.गुल्ली देवी पत्नि स्व0 हरला
9.जगदीश पुत्र स्व0 हरला
10.नन्दलाल पुत्र गिरधारीलाल
11.नारायण पुत्र गिरधारीलाल
12.भीवाराम पुत्र गिरधारीलाल

समस्त जाति माली निवासी बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

13.मोहनलाल पुत्र बींजाराम
14.हरिनारायण पुत्र बींजाराम
15.चिरंजीलाल पुत्र दूलीचंद
16.झूंथालाल पुत्र सनेहीलाल
17.सीताराम पुत्र रामकुवांर
18.अणची देवी पुत्री रिछपाल
19.प्रेम देवी पुत्री रिछपाल
20.बाबूलाल पुत्र रिछपाल
21.मिश्री देवी पुत्री रिछपाल
22.लालचंद पुत्र रिछपाल
23. साधूराम पुत्र मांगीलाल
24.साधूराम पुत्र रिछपाल
25.सरजू पुत्री बद्रीनारायण

समस्त जाति —महाजन निवासी ग्राम बाडीजोडी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना—पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक 20/5/26

उपस्थितः— प्रार्थीया अधिवक्ता दीपक शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की भूमि भूमि हाल आराजी खाता संख्या 624 के हाल खसरा नं0-668, रकबा 0.05 हैक्टर ख.नं. 676 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता-2 कुल रकबा 0.12 हैक्टर भूमि वाके ग्राम बाडीजोडी पटवार हल्का बाडीजोडी भू0 अभि0 क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि में प्रार्थीया का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित है।प्रार्थीया उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग-उपभोग में लेते आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 25 की भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि से लगती हुई होने के कारण सींव डौल का विवाद करते रहते है इस कारण प्रार्थीया ने अपनी भूमि का दिनांक 17.06.25 को तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर के आदेश कमांक 2025/12665/10 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का बाडीजोडी भू0अ0 निरीक्षक शाहपुरा व मौके पर उपस्थित खातेदारों की मौजूदगी में किया गया जिसमें प्रार्थीया अपनी भूमि की सीमा तक हाल आबाद काबिज काश्त हैं । उक्त सीमाज्ञान कराने के बाद प्रार्थीया उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की स्थायी सीमा चिन्ह(पत्थरगढी)करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं ।प्रार्थीया द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजी के पास स्थित भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 25 द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि की सीमाओ पर सींव,डोल आदि का विवाद करते रहते हैं एवं भूमि की सीमाओं को काटने पर आमादा रहते हैं ।इस कारण प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहती हैं ।

प्रार्थीया के प्रार्थना-पत्र पेश होने पर रिर्पोट सरिस्ता ली जाकर तथा प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 25 को रजि0 ए.डी से नोटिस जारी किया गया जिसमें वकील प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 5,7,8,9, की रजि0 ए.डी. से तामील प्रस्तुत की तामील होने के बावजूद कोई उप0 नही ना ही कोई जवाब पेश किया अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर शेष अप्रार्थीगण संख्या 10 लगा0 25 को तामील हेतु पुनः नोटिस जारी किया गया जिसमें जिसमें शेष अप्रार्थीगण संख्या 10 लगा0 25 की दो स्वतंत्र गवाह के साथ चस्पा तामील करवाई गई तामील होने के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 10 लगा0 25 अनु0 ना ही कोई जवाब पेश किया अतः अप्रार्थीगण संख्या 10 लगा0 25 अनु0 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।

वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत पत्थगढी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया वकील प्रार्थीया को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं। तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद,सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय है।जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमाचिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं।मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी के खाता संख्या 524 के हाल खसरा नं0–668, रकबा 0.05 हैक्टर खं.नं. 676 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 0.12 हैक्टर भूमि वाकै ग्राम बाडीजोडी पटवार हल्का बाडीजोडी भू0 अभि0 क्षेत्र शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक17.06.2025 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/5/26 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी के खाता संख्या 524 के हाल खसरा नं0–668, रकबा 0.05 हैक्टर खं.नं. 676 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 0.12 हैक्टर भूमि वाकै ग्राम बाढीजोडी पटवार हल्का बाडीजोडी भू0 अभि0 क्षेत्र शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक17.06.2025 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)